

कार्यपालक पदाधिकारी का कार्यालय चिरकुण्डा नगर पंचायत

आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा चिरकुण्डा नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत सभी प्लास्टिक बनाने वाले निर्माताओं/थोक विक्रेताओं/व्यवसायिक/प्रतिष्ठानों/फुटपाथ दुकानदारों/कुटीर उद्योग एजेन्सियों एवं आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन नियमावली के 2016 के तहत 50 Micron से कम मोटाई के प्लास्टिक व्यवहार निषिद्ध है. उपर्युक्त प्रतिष्ठानों द्वारा 50 Micron से कम मोटाई का प्लास्टिक उपयोग करते हुए पाये जाने पर PWM Rules, 2016 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी. साथ ही चिरकुण्डा नगर पंचायत से Trade License तब तक निर्गत नहीं किया जायेगा जब तक इस आशय शपथ पत्र नहीं देंगे कि उनके द्वारा 50 Micron से कम मोटाई के प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे.

उक्त संदर्भ में सभी वार्ड समितियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं से अपील है कि प्लास्टिक मुक्त चिरकुण्डा नगर पंचायत बनाने में नगर पंचायत का सहयोग करें एवं अपने स्तर से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय.

ह./- कार्यपालक पदाधिकारी,
चिरकुण्डा नगर पंचायत

ज्ञापक : 625/दिनांक : 28.06.2017

